न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

वाद संख्या :– 02 / 97 / 2013

भीमा बनाम केसर वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 02.05.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 603 / 0.56, 604 / 0.03, 605 / 0.72, 624 / 0.52, 625 / 0.48, 626 / 0.48 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 01.07.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल न करे, जबरन कब्जा न करें व कार्यकाश्त प्रार्थी में रूकावट मजाहमत न करें, रहनबय द्वारा मुन्तकिल न करें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामील हेतु पूर्व आदेश की पालना में रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर पालना नहीं की गई। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2013 से प्रचलन में है। प्रार्थना पत्र का निस्तारण गत 5 वर्षो से प्रार्थी की ओर से तामील की पालना नहीं किये जाने के कारण नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 603 / 0.56, 604 / 0.03, 605 / 0.72, 624 / 0.52, 625 / 0.48, 626 / 0.48 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 02.05.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

Web Copy - Not Official